प्रेस विज्ञप्ति
27.01.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जयपुर जोनल कार्यालय ने 24.01.2025 को जयपुर, दौसा (राजस्थान) और रेवाड़ी (हरियाणा) में नौ स्थानों पर बलजीत यादव, बहरोड़ निर्वाचन क्षेत्र, जिला-अलवर, राजस्थान और उनके संबंधित व्यक्तियों/संस्थाओं के परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया है। यह छापेमारी स्कूलों के लिए खेल उपकरण खरीद में विधायक-एलएडी फंड घोटाले से संबंधित धन शोधन जांच के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत की गई है। तलाशी अभियान के दौरान 31 लाख रुपये की नकदी, अपराध-संकेती अभिलेख और विभिन्न डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए।

ईडी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 में संशोधित), भादस, 1860 और राजस्थान सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की विभिन्न धाराओं के तहत एसीबी, जयपुर द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। पीएमएलए, 2002 की धारा 66(2) के तहत ईडी द्वारा साझा की गई जानकारी के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई।

ईडी की जांच में पता चला है कि बलजीत यादव ने अपने निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत 32 स्कूलों के लिए खेल उपकरणों की खरीद की संस्तुति की थी। पूर्व विधायक के सहयोगियों के नाम पर बनाई गई पसंदीदा संस्थाओं मेसर्स बालाजी कम्प्लीट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स सूर्या एंटरप्राइजेज, मेसर्स राजपूत स्पोर्ट्स एंटरप्राइजेज और मेसर्स शर्मा स्पोर्ट्स एंटरप्राइजेज को टेंडर दिए गए, जिसमें विभिन्न मानदंडों का उल्लंघन किया गया। स्कूलों को आपूर्ति किए गए खेल उपकरण घटिया गुणवत्ता के पाए गए और उनकी आपूर्ति अत्यधिक बढ़ी हुई कीमतों पर की गई। इसके अलावा, इन संस्थाओं को दिए गए एमएलए-एलएडी फंड को बलजीत यादव के रिश्तेदारों/सहयोगियों को उनके गलत लाभ के लिए फेर दिया गया।

आगे की जांच जारी है।